

प्राचार्य का कार्यालय
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया
पुननिविदा सूचना

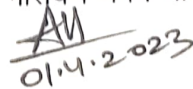
ज्ञापांक- 731

दिनांक- 01.04.23

वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के न्यू ग्लर्स छात्रावास एवं केंद्रीय पुस्तकालय में लगे जॉनसन कंपनी के लिफ्ट जिसकी कुल संख्या तीन है का Annual Maintenance Contract(AMC) के तहत रख रखाव हेतु निबंधित फर्म/निर्माता/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत मरम्मतकर्ता से मुहरबन्द लिफाफे में सीलड निविदा राष्ट्रीय समाचार में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर केवल निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यावधि 10:00 पूर्वाह्न से संध्या 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दो तरह की होगी। (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा। दोनों निविदा अलग-अलग लिफाफे में सीलड कर पुनः उसे बड़े लिफाफे में सीलड कर उस पर किस मद के लिए निविदा दिया जा रहा है, अंकित कर प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को भेजना होगा। निविदा टंकित/कम्प्यूटाईज होना चाहिए। काट-कूट एवं लिफ्ट लेपन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले दिन निविदा कय समिति के द्वारा खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगली कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इसके लिये अलग से सूचना नहीं दी जायेगी। निविदादाता को निविदा के साथ सत्यांकर राशि के रूप में ₹0 20000/- (बीस हजार रुपये) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जो प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पदनाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियम एवं शर्त की प्रति एवं मरम्मत किये जाने वाले लिफ्ट इत्यादि की सूची निविदा प्रकाशन के पश्चात प्राचार्य कार्यालय, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया में कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए www.anmmc.ac.in पर देखें अथवा कार्यालय से सम्पर्क करें।


प्राचार्य

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया।


01.4.2023

प्राचार्य का कार्यालय
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज गया
पुर्ननिविदा सूचना

ज्ञापांक-731

दिनांक-01-04-23

वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज, गया के न्यू ग्लर्स छात्रावास एवं केंद्रीय पुस्तकालय में लगे जॉनसन कंपनी के लिफ्ट जिसकी कुल संख्या तीन है का Annual Maintenance Contract(AMC) के तहत रख रखाव हेतु निबंधित फर्म/निर्माता/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत मरम्मतकर्ता से मुहरबन्द लिफाफे में सीलड निविदा राष्ट्रीय समाचार में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर केवल निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यावधि 10:00 पूर्वाह्न से संध्या 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दो तरह की होगी। (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा। दोनों निविदा अलग-अलग लिफाफे में सीलड कर पुनः उसे बड़े लिफाफे में सीलड कर उस पर किस मद के लिए निविदा दिया जा रहा है, अंकित कर प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज, गया को भेजना होगा। निविदा टंकित/कम्प्यूटाईज होना चाहिए। काट-कूट एवं लिप लेपन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले दिन निविदा कय समिति के द्वारा खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगली कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इसके लिये अलग से सूचना नहीं दी जायेगी। निविदादाता को निविदा के साथ सत्यांकर राशि के रूप में ₹0 20000/- (बीस हजार रुपये) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जो प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पदनाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियम एवं शर्त की प्रति एवं मरम्मत किये जाने वाले लिफ्ट इत्यादि की सूची निविदा प्रकाशन के पश्चात प्राचार्य कार्यालय, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया में कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

SL No.	Item Name & Number	Make & Model	Placed Name where lift facility available	AMC Rate without Tax	AMC Rate with Tax
01	Lift(L-K4073,4074	Jhonson	New Girls Hostel-2nos.		
02	L-K8456)	Jhonson	New central Library-1nos.		

नियम एवं शर्त

- निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरान्त अगले दिन कय समिति के समक्ष निविदा कार्यालय अवधि में खोला जायेगा जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी।
- इच्छुक मरम्मतकर्ता अपना निविदा कम्प्यूटर टंकित कार्यालय में Aadhar Card, Bank Detail with IFSC, Pan card, GST No. की छायाप्रति संलग्न कर समर्पित करें। जिसे स्व अभिप्रमाणित करना होगा।
- किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।



उपर्युक्त सामग्री का दर बाजार दर से कम अंकित करना होगा। मरम्मतकर्ता इस शर्त के आलोक में निविदा में दर अंकित करेंगे। साथ ही इस आशय का घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करेंगे कि निविदा में अंकित सामानों का दर बाजार दर से कम अंकित किया गया है। यदि भविष्य में दर बाजार दर से अधिक पाया जाता है तो उसकी वसूली मरम्मतकर्ता से किसी भी समय की जाएगी।

5. निविदा में कार्यों/सामानों का AMC दर टैक्स(जी0एस0टी0) सहित एवं (जी0एस0टी0)रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। दोनों दर अंकित नहीं रहने पर निविदा रद्द समझा जायेगा।

6. उपरोक्त Lift के रख-रखाव संबंधी कार्यों का दो वर्ष तक का संविदा होगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप संविदा अवधि विस्तारित पर कय समिति के द्वारा विचार किया जायेगा।

7. कय समिति के द्वारा न्यूनतम दर अनुमोदित होने उपरांत उन्हें एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

8. निविदादाता निविदा भेजने के पूर्व Lift का निरीक्षण कार्यालय अवधि में 10:00 बजे पूर्वाहण से 5:00 बजे अपराहण तक कर सकते हैं।

9. अगर कोई शिकायत दर्ज होती है या कॉल किए जाने पर मरम्मतकर्ता को उसी दिन प्राथमिकता के आधार पर उपस्थित होना होगा।

10. फर्म को Lift के मरम्मत के क्षेत्र में अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा।

11. मरम्मत किये गए Lift का निर्देशित पदाधिकारी के द्वारा किए गए मरम्मत का कार्य संतोषप्रद होने से संबंधी प्रमाण पत्र मिलने के बाद किये गये कार्यों का विपत्र चार प्रतियों में Aadhar Card, Bank Detail with IFSC, Pan card, GST No. की छायाप्रति संलग्न कर समर्पित करने के उपरांत भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।

12. AMC राशि का भुगतान निर्देशित पदाधिकारी के द्वारा किए गए मरम्मत का कार्य संतोषजनक कार्य होने से संबंधी प्रमाण पत्र मिलने के उपरांत चार बराबर कस्तों में किया जायेगा।

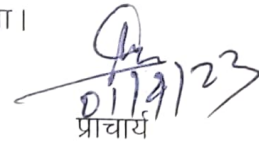
13. विपत्र का भुगतान नियमतः स्रोत पर इनकम टैक्स आदि कटौती करने के बाद किया जाएगा एवं विलंब के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं दिया जायेगा।

14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

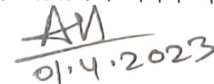
15. आवंटन रहने के पश्चात विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

16. अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बतायें किसी भी निविदा को रद्द अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही निविदा की तिथि में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

17. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर गया न्यायालय होगा।


प्राचार्य

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया


01.04.2023